

डी. के. बसु मामला

सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 में गुजरात में हुई घटना पर अपनी मौखिक टिप्पणी व्यक्त की, जहाँ चार पुलिस अधिकारी गरबा कार्यक्रम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति को खंभे से बांध कर सार्वजनिक रूप से पीटने में शामिल थे।

- सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस दुरुव्यवहार के खिलाफ वर्ष 1996 के डी.के. बसु नरिणय पर ज़ोर देते हुए ऐसे कृत्यों में शामिल होने के अधिकारियों के अधिकार पर सवाल उठाया।
- डी.के. बसु नरिणय में कहा गया है कि जहाँ अपराधियों को गरिफ्तार करना और पूछताछ करना पुलिस का कानूनी कर्तव्य है, वहीं कानून हिसात के दौरान थर्ड-डिग्री तरीकों के उपयोग या यातना पर सख्ती से रोक लगाता है।
 - थर्ड डिग्री वधि मूल रूप से पूछताछ के दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा उपयोग की जाने वाली शारीरिक क्रूरता को संदर्भित करती है, लेकिन समय के साथ, इसमें मनोवैज्ञानिक दबाव, नींद की कमी और दुरुव्यवहार के अन्य रूपों सहित विभिन्न रूप शामिल हो गए हैं।

और पढ़ें: हरिसत में परताड़ना

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/d-k-basu-case>

